न्यायालय अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर

अपील संख्याः 26/2018 (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

घीसीलाल शर्मा आत्मज स्व.श्री जगन्नाथ प्रसाद शर्मा निवासी–12 आनन्द कॉलोनी (प्रथम) सीतारामपुरी आमेर रोड जयपुर 302002 ...अपीलांट

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम) जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांकः 22.01.2019

निर्णय

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत दिनांक 16.10.2018 का आवेदन–पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के कार्यालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया। आवेदन में अंकित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील दिनांक 24.12.2018 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम) को अपील मीमों की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपील मीमो का जवाब राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पत्र क्रमांक 7878 दिनांक 1.1.2019 से प्राप्त हुआ है। अपीलांट की ओर से श्री विनोद कुमार अभिभाषक उपस्थित। अपीलांट अभिभाषक ने अभी तक सूचना नही मिलने का कथन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त जवाब अनुसार अपीलांट को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक 16/10/18 अनुसार बिन्दुवार सूचना दिया जाना जाहिर नही होता है।

फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को आवेदन पत्र दिनांक 16.10.2018 में अंकित वांछित सूचना/रिकार्ड यदि कार्यालय में संधारित है तो बिन्दुवार सूचना अपीलांट को निःशुल्क 15 दिवस में उपलब्ध करावे। निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 22/01/2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन)
अपीलीय अधिकारी,
अति.कलक्टर–प्रथम,जयपुर